Proforma for self-certification by the employee

I Sh./S	I Sh./Smt./Kr (Name of the Gov								
servant) wish to confirm that I am availing (Home Town/									
Any Place in India) LTC in respect of self/ family member(s) for the block year									
to visit (Place of visit) during									
(dates of journey). It is stated that I or the family member for									
whom I wish to avail LTC has/have not availed of the same before in the present									
block.									
	Particulars of members of family i	in respec	t of whom the Leave Travel						
Conces	sion is being claimed are as under:								
SI.	Name(s)	Age	Relationship with the						
No.		3	Employee						
3. It is	certified that the above facts are true	and any	false statement shall make me						
liable f	or appropriate action under Rule 1	6 of CCS	G (LTC) Rules, 1988 and the						
relevan	t disciplinary rules.								
Date:									
Date:									
Place: (Signature of Employee)									

***N.B.:** The employee may share interesting insights and pictures, if any, of the destination visited while availing LTC on an appropriate forum.

कर्मचारी द्वारा स्व-प्रमाणीकरण का प्रोफार्मा

मैं, श्री	/ श्रीमती / कुमारी		(कर्मचारी का नाम)						
इसकी पुष्टि करना चाहता हूँ कि मैं के दौरान (यात्रा की									
तारीखें) के दौरे पर (गंतव्य स्थान) ब्लॉक वर्ष									
के लिए स्वयं / परिवार के सदस्य (सदस्यों) के संबंध में एलटीसी									
(गृह नगर/भारत में किसी भी स्थान) ले रहा हूँ। यह सूचित किया जाता है कि मैने									
अथवा परिवार के सदस्य, जिनके लिए मैं एलटीसी का लाभ लेना चाहता हूँ, उन्होंने वर्तमान									
ब्लॉक में पूर्व में इसका लाभ नहीं लिया है।									
2. परिवार के सदस्यों, जिनके संबंध में छुट्टी यात्रा रियायत का दावा किया जा रहा है, संबंधी ब्यौरे नियमानुसार हैं :									
क.सं.	नाम	आयु	कर्मचारी के साथ संबंध						
3. यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त तथ्य सत्य हैं और किसी भी झूठे विवरण के कारण मुझ पर सीसीएस (एलटीसी) नियमावली, 1988 के नियम—16 के अंतर्गत और संगत अनुशासनिक नियमों के अंतर्गत उपयुक्त कार्यवाही की जाएगी।									
दिनांक	;								
स्थान	÷	(कर्मचारी के हस्ताक्षर)							
*एन.बी.: कर्मचारी एलटीसी का लाभ उठाते समय दौरे के गंतव्य स्थानों की दिलचस्प जानकारी और तस्वीरों, यदि कोई हों, को किसी उपयुक्त मंच पर साझा कर सकता है।									



अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ,रायपुर (छत्तीसगढ़)

All India Institute of Medical Sciences, Raipur (Chhattisgarh)

Tatibandh, GE Road, Raipur-492 099 (CG)

एम्स, रायपुर के संकाय सदस्यों / अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए अवकाश अनुदान अवकाश यात्रा रियायत हेतु आवेदन पत्र

APPLICATION FORM FOR GRANT OF LEAVE/LEAVE TRAVEL CONCESSION FOR THE FACULTY MEMBERS/OFFICERS/EMPLOYESS AT THE AIIMS, RAIPUR

01	संकाय सदस्य / अधिकारी / कर्मचारी का नाम Name of						
01	faculty member/Officer/Employee						
02	पदनाम एवं विभाग Designation & Department						
03.	दिन एवं अवकाश अवधि (यदि अधिकारी के स्वयं का						
	एलटीसी चाहें हो तो) No. of days & period of the leave						
	required (in the case of the officer himself/herself wants						
	to avail LTC)						
04.	अवकाश की प्रकृति (आकस्मिक/अर्जित/ग्रीष्म/						
	शीतकालीन अवकाश) Nature of leave required (Casual						
	leave/Earned leave/Summer/Winter Vacation etc.)						
05.	क्या एलटीसी गृह शहर अथवा भारत में कहीं भी जाने के						
	लिए है। (स्थान नाम चिन्हांकित करें, एवं खण्ड वर्ष भरें)						
	Whether LTC is required to visit Home-Town or within						
	India (Name of the place be indicated) by indicating the						
	Block Year.						
06.	क्या एलटीसी स्वयं/पारिवारिक सदस्य हेतु अपेक्षित है	नाम	Name	उम्र	Age	संबंध	Relationship
	(आवेदनकर्ता स्वयं निर्दिष्ट करें)। यदि आवेदक के						
	पति / पत्नि शासकीय संस्था में हैं, तो संस्था से शपथ पत्र						
	कि उनके द्वारा खंड वर्ष के लिए अवकाश यात्रा रियायत						
	नहीं लिया गया है। यदि,प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है तो						
	पति / पत्नि द्वारा यह प्रमाणित किया जाना है कि उनके						
	द्वारा एलटीसी नहीं लिया गया है। Whether LTC is						
	required for self/family members (Name of the applying						
	person be indicated. If his/her spouse works in						
	Government offices a certificate from the employer of						
	spouse is required that he/she has not availed LTC for the						
	block year so requested. If the certificate is not available,						
	then the applying person should certify that his/her						
	spouse has not availed LTC for the Block Year so,						
	requested.						
07.	उक्त अनुसार प्रमाण पत्र की आवश्यकता जिसमें आवेदक						
	के पारिवारिक सदस्य यथा माता, पिता,पुत्र, पुत्री हैं जो						
	उनपर निर्भर है ओर उनकी कुल मासिक आय रू.						
	9000 / — (जिसमें पेंशन व अन्य सहित) से अधिक न हो।						
	और उनके द्वारा खण्ड वर्ष में एलटीसी नहीं लिया गया है।						
	Similarly a certificate is required that his/her other family						
	members e.g. Mother/Father/Son & Daughter etc. are						
	dependent and the total income does, not exceed more						
	than of Rs. 9000/- per month including stipend or pension, temporary, increase in pension but excluding						
	Dearness Relief on him/her and they have not availed LTC						
	for the Block Year so required.						
08.	क्या अर्जित अवकाश को भुनाया गया। यदि हां, तो कितने						
00.	दिन, कुपया उल्लेख करें। Whether encashment of						
	Earned Leave is required. If yes, specify no. of days.						
<u> </u>	rearrange and required in year, specify no. or days.	l		l		l	

नोट— ससुराल पक्ष के रिश्तेदार एल.टी.सी. हेतु एलटीसी नियमों के अनुसार पात्र नहीं है। Note- The In-Laws are not entitled to LTC according to LTC Rules.

दिनांक Dated -

(संकाय सदस्य के हस्ताक्षर)